झारखण्ड विधान सभा

दैनिक विवरणिका

<u>चतुर्थ झारखण्ड विधान सभा</u> <u>पंचम(बजट) सत्र</u>

<u>संख्या-19</u> सोम<u>वार, दिनांक-15 मार्च, 2016 ई०।</u>

<u>समय-11.00 बजे पूर्वा० से 02.17 बजे अप० तक।</u>

माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया।

I- माननीय अध्यक्ष महोदय के आसन ग्रहण करते ही विपक्ष के अधिकांश माननीय सदस्यगण स्लोगनयुक्त अंगवस्त्र पहनकर व हाथों में पोस्टर लेकर झारखण्ड राज्य में स्थानीय नीति लागू किये जाने की माँग करने लगे और शनै: शनै: सदन की वेल में आकर नारेबाजी करने लगे।

इस दौरान सत्ता पक्ष के माननीय सदस्य सर्वश्री जानकी प्रसाद यादव, बिरंची नारायण, जीतूचरण राम, केदार हजरा व अन्य भी अपने-अपने स्थान पर खड़े होकर विरोध स्वरूप नारेबाजी करने लगे जिससे भारी शोरगुल होने लगा,

II- आसन द्वारा बारंबार माननीय सदस्यों को अपने-अपने स्थान पर बैठने हेतु आग्रह किया जाने लगा, परन्तु स्थिति यथावत् कायम रही। इस क्रम में आसन द्वारा घोषणा की गई कि माननीय सदस्य श्री जगरनाथ महतो एवं श्री दीपक बिरूवा से प्राप्त कार्यस्थगन प्रस्ताव की सूचना को नियमानुकूल नहीं होने के कारण अमान्य कर दी गई है,

III-माननीय नेता, प्रतिपक्ष द्वारा अखबार में प्रकाशित समाचार **''सरकार ने मना किया, कोर्ट ने दिलाया आवासीय प्रमाण पत्र''** की ओर आसन का ध्यानाकृष्ट करते हुए राज्य में शीघ्र स्थानीय नीति लागू किये जाने की माँग की गई। आसन द्वारा माननीय नेता,प्रतिपक्ष से आग्रह किया गया कि बजट पर चर्चा के दौरान इन विषयों पर भी बोलने का मौका प्राप्त होगा,

IV-माननीय मुख्यमंत्री द्वारा स्थिति को स्पष्ट करते हुए सदन को अवगत कराया गया कि झारखण्ड में स्थानीय नीति एवं नियोजन नीति लागू किये जाने के सम्बन्ध में विभिन्न राजनीतिक दलों तथा बुद्धिजीवियों के साथ बैठकें हुई है जिसके आलोक में कानून बनाया जा रहा है, वर्त्तमान में शिक्षकों की नियुक्ति में स्थानीय लोगों को ही प्राथमिकता दी गयी है, लेकिन भारी शोरगुल होता रहा जिससे स्थिति यथावत् कायम रही।

अतएव सदन में अव्यवस्था के माहौल को देखते हुए **सदन की कार्यवाही 11.18 बजे पूर्वा० से 12.00 बजे मध्या०** तक के लिए स्थगित कर दी गयी।

(स्थगनोपरांत)

माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया।

आसन ग्रहण करते ही माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा शून्यकाल के लिये पुकारा गया, परन्तु पूर्व की स्थिति यथावत् कायम हो जाने के कारण शून्यकाल की सूचनायें नहीं ली जा सकीं।

1.<u>सभा मेज पर कागजात का रखा जाना</u>:-

माननीय प्रभारी मंत्री, योजना-सह-वित्त, श्री सरयू राय द्वारा भारतीय संविधान के

समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन सामान्य, सामाजिक एवं आर्थिक (गैर सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम) राजस्व क्षेत्र एवं राज्य वित्त 2014-2015 झारखण्ड सरकार जिसे विधान सभा के समक्ष रखनेहेतु भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक ने माननीय राज्यपाल के पास भेजा है, की एक प्रति सदन पटल पर रखी गयी जिसपर सभा की सहमति हुई,

ii-माननीय प्रभारी मंत्री, योजना-सह-वित्त, श्री सरयू राय द्वारा भारतीय संविधान के अनुच्छेद-151(2) के अनुसरण में भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का 31 मार्च, 2015 को समाप्त हुए वर्ष का सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों 2014-15 झारखण्ड सरकार का प्रतिवेदन जिसे विधान सभा के समक्ष रखने हेतु भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक ने माननीय राज्यपाल के पास भेजा है, की एक प्रति सदन पटल पर रखी गयी जिसपर सभा की सहमति हुई,

iii- माननीय प्रभारी मंत्री, ऊर्जा, श्री चन्द्रेश्वर प्रसाद सिंह द्वारा ''दामोदर घाटी निगम अधिनियम (1948 के अधिनियम-14) की धारा-45 के अनुसरण में दामोदर घाटी निगम का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष-2013-14 एवं वार्षिक बजट वर्ष-2014-15'' की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखी गयी,

iv- श्रीमती नीरा यादव, माननीय मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा ''झारखण्ड सरकारी माध्यमिक विद्यालय शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारी नियुक्ति तथा सेवा शर्त्त नियमावली, 2016'' और झारखण्ड अधिविद्य परिषद् (नियुक्ति एवं सेवा शर्त्त) नियमावली, 2016 की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखी गयी,

v- माननीय प्रभारी मंत्री, कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, श्री सरयू राय द्वारा ''झारखण्ड राज्य सेवा देने की गारंटी (संशोधन) नियमावली-2015'' की एक प्रति सभा पटल पर रखी गयी,

vi- माननीय सभापति, श्री नवीन जयसवाल द्वारा युवा-संस्कृति, खेलकूद एवं पुस्तकालय विकास समिति का 5वाँ प्रतिवेदन सभा पटल पर रखा गया।

2. वित्तीय कार्य:-

श्री सरयू राय, माननीय प्रभारी मंत्री द्वारा ''वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय-व्ययक में सम्मिलित अनुदानों की माँगों खण्ड-(13) मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं निगरानी विभाग (मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं समन्वय प्रभाग), मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं निगरानी विभाग(निगरानी प्रभाग), योजना-सह-वित्त विभाग(वित्त प्रभाग), वाणिज्यकर विभाग, गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग (गृह प्रभाग), कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग (कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार प्रभाग), योजना सह वित्त विभाग(योजना प्रभाग) कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग (राजभाषा प्रभाग) एवं गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग(आपदा प्रबंधन प्रभाग)'' से सम्बन्धित माँग पेश की गयी जिसपर माननीय सदस्य, श्री प्रदीप यादव द्वारा कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया।

क्र०पृ०३०-

(अन्तराल)

माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया।

(शोरगुल)

3.वित्तीय कार्य (क्रमांक-2 से जारी) :-

अन्तराल के पूर्व ''वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय-व्ययक में सम्मिलित अनुदानों की माँगों खण्ड-(13) मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं निगरानी विभाग (मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं समन्वय प्रभाग), मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं निगरानी विभाग(निगरानी प्रभाग), योजना सह वित्त विभाग(वित्त प्रभाग), वाणिज्यकर विभाग, गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग (गृह प्रभाग), कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग (कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार प्रभाग), योजना सह वित्त विभाग(योजना प्रभाग) कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग (राजभाषा प्रभाग) एवं गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग(आपदा प्रबंधन प्रभाग)'' से सम्बन्धित पेश की गयी माँग पर सरकार की ओर से श्री सरयू राय, माननीय प्रभारी मंत्री द्वारा द्वारा उत्तर दिया गया। इसके उपरांत ''वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय-व्ययक में सम्मिलित अनुदानों की माँगों खण्ड-(13) मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं निगरानी विभाग (मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं समन्वय प्रभाग), मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं निगरानी विभाग(निगरानी प्रभाग), योजना सह वित्त विभाग(वित्त प्रभाग), वाणिज्यकर विभाग, गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग (गृह प्रभाग), कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग (कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार प्रभाग), योजना सह वित्त विभाग(योजना प्रभाग) कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग (राजभाषा प्रभाग) एवं गृह, कारा तथा आपदा प्रबंधन विभाग(आपदा प्रबंधन प्रभाग)'' से सम्बन्धित माँग सदन द्वारा स्वीकृत हुई। माननीय सदस्य, श्री प्रदीप यादव का कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

4. विधायी कार्यः-

राजकीय (वित्त) विधेयक

झारखण्ड विनियोग (संख्या-02) विधेयक, 2016

माननीय प्रभारी मंत्री श्री सरयू राय द्वारा सभा की अनुमति से उपर्युक्त विधेयक को पुरःस्थापित किया गया।

पुरःस्थापनोपरांत माननीय प्रभारी मंत्री द्वारा प्रस्तुत उपर्युक्त विधेयक पर विचार का प्रस्ताव सभा द्वारा स्वीकृत हुआ।

खण्डशः विचार के क्रम में विधेयक के खण्ड- 2, अनुसूची, खण्ड-1, प्रस्तावना एवं नाम बारी-बारी से सभा की अनुमति से इस विधेयक के अंग बने।

तत्पश्चात् माननीय प्रभारी मंत्री ने उपर्युक्त विधेयक की स्वीकृति का प्रस्ताव प्रस्तुत किया जो सभा द्वारा स्वीकृत हुआ।

इसके पश्चात् सभा की कार्यवाही बुधवार, दिनांक- 16 मार्च, 2016 के 11.00 बजे पूर्वा० तक के लिये स्थगित हुई।

राँची, दिनांक- 15, मार्च, 2016 ई०।

बिनय कुमार सिंह

प्रभारी सचिव, झारखण्ड विधान सभा।

——x——x——x——